



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 498(17 / 24)

दर्ज तिथि:-24.10.2024

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति,  
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनिवालों की ढाणी पं.स. आडेल जिला बाड़मेर  
.....प्रार्थीगण

1. खीयाराम पुत्र हीराराम
2. ठाकराराम पुत्र खीयाराम
3. पूनमाराम पुत्र खीयाराम
4. हडुमानराम पुत्र खीयाराम  
जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर  
.....असल अप्रार्थीगण
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी
6. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा  
.....तकमिली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री मोहनलाल विश्नोई

अप्रार्थीगण:-श्री हरिराम विश्नोई

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-03.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनिवालों की ढाणी वर्तमान में आराजी खसरा संख्या 102/2/0.4047 है0 किस्म गै0मु0 विद्यालय मौजा मंगले की बेरी पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 की खातेदारी आराजी थी। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा खसरा संख्या 102/1 आराजी चैनाराम पुत्र शिवजीराम को बेचान की गई। तत्पश्चात् चैनाराम पुत्र शिवजीराम द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 102/1 स्वैच्छा से प्रार्थी संस्थान को दान की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी संस्थान के नाम खसरा संख्या 102/2 राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। प्रार्थी संस्थान द्वारा खसरा संख्या 102/2 विद्यालय में पहुँच के



मौके पर खसरा संख्या 102 में से होते हुए मौके पर चीपाली नाडी से मंगले की बेरी तक जाने वाली डामर सड़क से प्रार्थी संस्थान तक विद्यमान रास्ता मौके पर चालू है। उक्त विद्यमान रास्ते में खसरा संख्या 102 में प्रार्थी संस्थान के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है तथा विप्रार्थीगण वक्त काश्त उक्त खसरों में काश्त कर लेते हैं। जिससे प्रार्थी संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों/शिक्षकों को विद्यालय तक आने-जाने से बाधित हो जाते हैं। अतः खसरा संख्या 201 मौजा मंगले की बेरी में से होकर करीब नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी संस्थान तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 20 फिट चौड़ाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण असालतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251 क के तहत केवल खातेदार काश्तकारों द्वारा अपनी कृषि जोत तक आने-जाने हेतु प्रावधान बनाये गये हैं एवं साथ ही एक खेत से दूसरे खेत तक पानी की पाईप लाईन ले जाने हेतु प्रावधान बनाये गये हैं। प्रार्थी संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी एक राजकीय संस्थान है जो किसी खातेदार/काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है और साथ ही अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से उक्त संस्थान तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध भी नहीं है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा आगे कथन किया कि प्रार्थी संस्थान का मुख्य दरवाजा खसरा संख्या 99 की तरफ आया हुआ है। इसी रास्ते से वर्तमान में प्रार्थी संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों/शिक्षकों द्वारा आवागमन किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251 क के मूल प्रावधानों के विपरीत पेश किया होने से खारिज फरमाया जावे।
3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना-पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251 क के मूल प्रावधानों के विपरीत पेश किया होने से खारिज फरमाया जावे।
4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

**251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where -**

*(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*

*(b) **a tenant or a group of tenants** intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, **through the holding of another khatedar** to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the*

case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

**68. Application under Sec. 251-A.** - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

**69. Enquiry and disposal of application.** - On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

**70. Determination of compensation.** - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई काश्तकार या काश्तकारों का कोई समुह अपनी जोत की आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफ्त हेतु अन्य खातेदार की जोत/आराजी में से होकर रिकार्डेड नवीन रास्ता का अंकन, पूर्व से विद्यमान रास्ता की लम्बाई में वृद्धि या चौड़ाई का विस्तार करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. प्रार्थी की रास्ते बाबत अन्य रिकार्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

5. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत कोई काश्तकार या काश्तकारों का कोई समुह अपनी जोत की आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफ्त हेतु अन्य खातेदार की जोत/आराजी में से होकर रिकार्डेड नवीन रास्ता का अंकन, पूर्व से विद्यमान रास्ता की लम्बाई में वृद्धि या चौड़ाई का विस्तार करवा सकता है। परंतु प्रकरण में प्रार्थी कोई काश्तकार नहीं होकर राजकीय विद्यालय है। इस प्रकार प्रार्थी के काश्तकार नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251-क के तहत रास्ता चाहने के प्रावधान लागू नहीं होने के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क

काबिल-ऐ-खारिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण  
का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी-बाड़मेर

